कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!

प्रेस–नोट

दिनांकः– 12.09.2017

- *5 ग्राम 200 मिलीग्राम अवैध स्मैक सहित एक आरोपी गिरफ्तार –*

पुलिस अधीक्षक करौली, अनिल कयाल के निर्देशन में जिले में अवैध रूप से मादक पदार्थो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 11.09.2017 को थाना हिण्डौनसिटी द्वारा इस्लाम पुत्र बाबू उम्र 42 साल जाति मुसलमान निवासी शाहगंज थाना हिण्डौनसिटी को 5 ग्राम 200 मिलीग्राम अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया।

थाना हिण्डौनसिटी इलाका क्षेत्र में मादक पदार्थो के बिक्री की सूचना कई दिनों से प्राप्त हो रही थी। दिनांक 11.09.17 को जरिये मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति बरगमा रोड हनुमान मन्दिर के पास स्मैक बेच रहा है। जिस पर महेश शर्मा उप निरीक्षक को कार्यवाही करने हेतु सांकेतिक स्थान पर रवाना किया। महेश शर्मा उपनिरीक्षक मय जाप्ता के सांकेतिक स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति बरगमा रोड हनुमान मन्दिर के पास बैठा हुआ दिखाई दिया जो पुलिस गाडी को देखकर भागने लगा। जिसे महेश शर्मा उपनिरीक्षक ने मय जाप्ता की मदद से पकडा और नाम पता पूछा तो अपना नाम इस्लाम पुत्र बाबू उम्र 42 साल जाति मुसलमान निवासी शाहगंज थाना हिण्डौनसिटी जिला करौली का होना बताया । इस्लाम की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक थैली में अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिला। उक्त मादक पदार्थ के रखने तथा परिवहन करने का इस्लाम से अनुज्ञा पत्र मांगा तो नहीं होना बताया। इस्लाम को मौके पर गिरफ्तार कर स्मैक का शुद्व बजन 5 ग्राम 200 मिलीग्राम अवैध मादक प्रदार्थ स्मैक बरामद की जिस पर थाना हिण्डौनसिटी पर अभियोग संख्या 691/17 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। मुल्जिम इस्लाम से अवैध स्मैक के कारोबार में लिप्त अन्य व्यक्तियों के बारे में कडाई से पूछताछ की जा रही है।

- *स्थाई वारन्टी गिरफ्तार –*

थाना कोतवाली करौली – दिनांक 11.09.2017 को दिनेश कुमार हैड कानि0 100 के द्वारा न्यायालय श्रीमान सीजेएम करौली के कोर्ट केस नं0 206/17 की पालना में स्थाई वारंटी जीतू पुत्र कैलाशसिंह जाति राजपूत निवासी कोठी भूडावाढ थाना कुडगांव को गंगापुर सिटी से गिरफ्तार किया गया।

- *14 जुआरी गिरफ्तार जुआ राशि 57390/ रूपये जप्त –*

थाना कोतवाली करौली – दिनांक 11.09.2017 को बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक को जरिये मुखबिर सूचना मिली की कृषि उपजमण्डी ट्रक यूनियन करौली में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रूपयों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। उक्त सूचना पर कृषि उपजमण्डी ट्रक यूनियन करौली से आरोपी 1. लेखराज पुत्र कैलाप्रसाद जाति मीणा निवासी भांकरी थाना लांगरा 2. जयसिंह पुत्र विशाल जाति मीणा निवासी छावर थाना मासलपुर 3. रूपसिंह पुत्र गंगाप्रसाद जाति मीणा निवासी दीवनपुरा थाना मासलपुर 4. रामवीर पुत्र हौरीलाल जाति जाटव निवासी खूवनगर थाना सदर करौली को गिरफ्तार कर आरोपीयों के कब्जे से 52 पत्ता ताश व जुआ राशि 12000/– रूपये बरामद कर अभियोग संख्या 335/17 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में पंजीबद्व किया गया।

- दिनांक 11.09.2017 को सुरजीत उप निरीक्षक (प्रोवेशनर) को जरिये मुखबिर सूचना मिली की कृषि उपजमण्डी ट्रक यूनियन करौली में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रूपयों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। उक्त सूचना पर कृषि उपजमण्डी ट्रक यूनियन करौली से आरोपी 1. विजय पुत्र बसन्ता जाति जाटव निवासी सौरया थाना सदर करौली 2. सज्जन पुत्र सरूआ जाति मीणा निवासी गादौली थाना मासलपुर 3. राकेश पुत्र रामकरण मीणा निवासी गंरदह थाना लांगरा 4. बहादुर पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी पाटोरन थाना सदर करौली 5. माखन पुत्र मिश्रया मीणा निवासी भिण्डपुरा पाटोरन थाना सदर करौली को गिरफ्तार कर आरोपीयों के कब्जे से 52 पत्ता ताश व जुआ राशि 22290/– रूपये बरामद कर अभियोग संख्या 236/17 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में पंजीबद्व किया गया।
- दिनांक 11.09.2017 को गिर्राज उप निरीक्षक को जरिये मुखबिर सूचना मिली की कृषि उपजमण्डी ट्रक यूनियन करौली में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रूपयों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। उक्त सूचना पर कृषि उपजमण्डी ट्रक यूनियन करौली से आरोपी 1. चोलीराम पुत्र किशनलाल मीणा 2. रामेश्वर पुत्र हरिचरण मीणा निवासीगण पोसरा थाना सदर करौली 3. रमेश पुत्र तुलसीराम मीणा निवासी पाटोरन थाना सदर करौली 4. अमृत पुत्र सौदान मीणा निवासी मोठियापुरा थाना सदर हिण्डौन 5. करन पुत्र सियाराम मीणा निवासी हरिपुरा थाना सदर करौली को गिरफ्तार कर आरोपीयों के कब्जे से 52 पत्ता ताश व जुआ राशि 23100/– रूपये बरामद कर अभियोग संख्या 237/17 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में पंजीबद्व किया गया।

➢ ***मारपीट कर जाति सूचक शब्दो से अपमानित करने का आरोपी गिरफ्तार –***

थाना टोडाभीम – दिनांक 05.08.2017 को मुस्तगीस समयसिंह पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी भैंसा टोडाभीम ने स्वयं के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्दो से अपमानित करने का अभियोग संख्या 275/17 धारा 323,341,327 भा.द.स. व 3 एस.सी.एस.टी. एक्ट में पंजीबद्व करवाने पर बाद अनुसंधान आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजेश पुत्र रामभरोसी जाति गुर्जर निवासी झाडीसा थाना टोडाभीम को दिनांक 11.09.2017 को प्रकाशचन्द वृत्ताधिकारी वृत्त टोडाभीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

➢ ***शराब पीकर उत्पात मचाने पर 01 व्यक्ति गिरफ्तार –***

थाना कोतवाली करौली – दिनांक 11.09.2017 को बृजराज हैड कानि. 105 के द्वारा दौराने गस्त हटारिया पर शराब पीकर उत्पात मचाने पर आरोपी रमेश पुत्र रामजीलाल जाति कोली निवासी छतपाडा थाना कोतवाली करौली को धारा 60 पुलिस एक्ट में गिरफ्तार किया गया।